मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनॉक 11–01–2023 में गठित संयुक्त समिति की स्थलीय निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में एवं अन्य में पारित आदेशों के अनुक्रम में निम्न विभागों की संयुक्त समिति का गठन किया गया था।

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. प्रभागीय वन अधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून
3. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

तत्क्रम में उपरोक्त विभागों के नामित सदस्यों द्वारा प्रकरण इठारना से कुखुई मार्ग जो देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल जनपद के अन्तर्गत 12 किमी0 सड़क निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में मलबा डाला जा रहा है, जिससे बांज के वृक्षों का नुकसान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक 16.02.2023 को किया गया, जिसमें निरीक्षण के समय उपस्थिति निम्नवत् है–

1. डा0 अमृता शर्मा, तहसीलदार, ऋषिकेश, देहरादून।
2. श्री अनिल सिंह रावत, ए0सी0एफ0, देहरादून
3. श्री एस0एस0 चौहान, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. श्री बी0एन0 गोदयाल, अधि0अभि0, पी0एम0जी0एस0वाई0, नरेन्द्रनगर डिवीजन
5. श्री सतीश चन्द्र जोशी, रा0उप0नि0
6. श्री एस0बी0 वर्मा, स0अ0, पी0एम0जी0एस0वाई0, नरेन्द्रनगर डिवीजन।

जनपद देहरादून व टिहरी गढ़वाल में इठारना से कुखुई के अन्तर्गत 12 किमी0 सड़क निर्माण हेतु ग्राम विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या–781/पी.1–32(Phase-XVI)/यू.आर.आर.डी.ए./17 दिनांक 09 मई, 2017 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। उक्त स्वीकृति बिन्दु संख्या–92 के अनुसार है। **(संलग्नक–1)**

जनपद देहरादून में टिहरी गढ़वाल में इठारना से कुखुई के अन्तर्गत 12 किमी0 सड़क निर्माण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/204/2015/एफ0सी0/104 दिनांक 22/04/2019 के माध्यम से 0.055 है0 वन भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तित की गयी है। **(संलग्नक–2)** वर्तमान में सड़क की कटिंग का कार्य 06 किमी0 तक किया जा चुका है एवं 07 किमी0 के रोड़ कटिंग का कार्य गतिमान है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपनी स्वीकृति में उल्लेख किया गया है कि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.772 है0 ग्राम कुखई तल्ली भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रखरखाव हेतु धनराशि जमा की जायेगी।

जनपद देहरादून एवं जनपद टिहरी गढ़वाल में इठारना से कुखुई के अन्तर्गत 12 किमी0 तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वास्तविक रूप से 12 मीटर चौड़ाई में पातन/विदोहन किये गये वृक्षों का विवरण वन विभाग द्वारा कराया गया **(संलग्नक–3)** जिसका विवरण निम्नानुसार है–

इठारना से कालवन कुखुई मोटर मार्ग में आने वाले वृक्षों की संख्या
(ग्राम सभा गडूल)

क0 सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (व्यास से0मी0)									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 over	Total
1	सेमला Baihinia	6	2	1	–	1	–	–	–	–	10
2	कोकाट	13	4	–	–	–	–	–	–	–	17
3	रोहणी	2	1	–	–	–	–	–	–	–	3
4	भीमल	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
	योग	23	7	1	0	0	0	0	0	0	32

नोट–0–10से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

(नाप भूमि कालवन)

क0 सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (व्यास से0मी0)									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 over	Total
1	भीमल	14	10	–	–	–	–	–	–	–	24
2	खडीक	5	7	–	–	–	–	–	–	–	12
3	तुन Toona	2	3	–	–	–	–	–	–	–	5
4	कचनार	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
5	कोकाट	21	7	1	–	1	–	–	–	–	30
6	सिरस	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
7	अखरोट	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
8	रोहणी	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
	योग	49	27	2	0	2	0	0	0	0	80

नोट–0–10से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

(आरक्षित वन क्षेत्र भोगपुर क0सं0–6)

क0 सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (व्यास से0मी0)									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 over	Total
1	रोहणी	12	6	–	–	–	–	–	–	–	18
2	सेमल	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
3	गेन्ठी	4	4	1	–	–	–	–	–	–	9
4	तुन	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
5	कोकाट	45	49	23	11	5	1	–	–	–	134
	योग	63	60	24	11	5	1	0	0	0	164

नोट–0–10से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

(ग्राम समाज गड्डूल)

क0 सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई (व्यास से0मी0)									योग
		10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 over	Total
1	भीमल	4	5	4	1	–	–	–	–	–	14
2	गैन्ठी	–	–	1	–	–	1	–	1	1	4
3	खडीक	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
4	तुन	–	3	–	–	–	–	–	–	–	3
5	जामुन	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
6	कचनार	1	1	–	–	–	–	–	–	–	2
7	सेमल	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8	रोहणी	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
9	कोकाट	14	4	3	1	–	–	–	–	–	22
10	बोकली	2	–	1	–	–	–	–	–	–	3
11	बहेड़ा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
	योग	29	13	9	2	0	1	0	1	1	56

नोट–0–10से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

पी0एम0जी0एस0वाई0 के द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान नियमों के पूर्ण अनुपालन न करने पर वनक्षेत्राधिकारी थानों द्वारा सम्बन्धित संस्था को समय–समय पर नोटिस जारी किये गये एवं अनियमित मलवा का निस्तारण करने व उससे 27 वृक्षों (कुकाट) को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने पर थानो राजि द्वारा आर0सी0नं0 20/थानो/2020–21 राजिवाद दर्ज किया गया, जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण से थानो राजि द्वारा अपने ई–3 रशीद संख्या–1030/48 दिनांक 15.06.2021 के द्वारा

50000.00 रूपये क्षतिपूर्ति वसूल कर राजस्व में जमा किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा कुल स्वीकृत 332 वृक्षों का ही पातन किया गया है। दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान 02 बांज वृक्षों का राजस्व भूमि में क्षति होना पाया गया, जिसका मूल्यांकन विभागीय दर के अनुसार 2342.00 रूपये अंकलित किया गया है। उक्त क्षेत्र राजस्व विभाग के अधीन होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग व.. प्रेषित किया जा रहा है।

इठारना–कुखुई मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि में चैनेज सं0 0/0-2,0/5-6,0/10-12,0/18-20,0/24-26,4/9,4/21-22,4/37-38,5/10-11 जो कि लगभग जिसमें 110x10x6,11x6x8,100x10x8,100x6x8,67 x6x8,105x 10x8,80x5x4,50x5x8,90x10x8 मीटर के डम्पिंग जोन हैं। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्राविधान है। उपरोक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित एंव जल स्रोतों में नहीं डाला जा रहा है। पी0एम0जी0एस0वाई0 को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित डम्पिंग यार्ड पर निस्तारित किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है– **(संलग्नक–4)**

Muck Generation, Muck Utilization & Dumping Report (0.00 to 6.40 Km) Name of Road:-Itherna to Kukhai Motor Road Length 12.050 Km.

Sl.No.	Designated Dumping Yard (Chainage)	Approx Dumping Yard Assessed Capacity (in Cum)	Muck Generated (In Cum)	Utilization (In Cum)	Muck Dumped (In Cum)	Remark
1.	0/0-0/2	2,880.00	1,15,200.00	68,584.00	2,123.00	उक्त परियोजना में किमी0 0.00 से किमी 6.400 क मध्य कुल 14 डम्पिंग जोन बनाये गये हैं, जिसमें 47398.29 Cum Debris Dumped डम्पिंग जोन में डाला गया है एवं 68584.00 Cum Debris Reutilization Construction कार्य हेतु प्रयोग किया गया है।
2.	0/4 to 06	8,250.00			6,542.00	
3.	0/10-0/12	2,800.00			1,952.00	
4.	0/26-0/29	9,000.00			7,412.00	
5.	1/10-1/12	3,600.00			2,458.00	
6.	1/14-1/16	3,600.00			3,012.00	
7.	1/23-1/26	4,950.00			3,952.85	
8.	2/24-2/26	3,150.00			2,612.52	
9.	3/38-3/40	6,624.00			5,214.25	
10.	4/10-4/12	5,250.00			4,258.58	
11.	4/26-4/27	1,800.00			1,356.00	
12.	4/37-4/38	3,200.00			3,141.00	
13.	5/10-5/11	2,400.00			2,312.00	

14.	5/38-5/40	1,200.00			1,052.00	
	Total		.	**68,584.00**	**47,398.72**	

इसके अतिरिक्त 11 डम्पिंग यार्ड निजी भूमि पर बनाये गये है, जिनका विवरण संलग्न है। **(सलग्नक–5)**

उक्त के अतिरिक्त पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा उक्त निर्माणाधीन 12 किमी0 सड़क में से 06 किमी0 पर स्थाई भूस्खलन क्षेत्र चिन्हित किये गये हैं, जिन स्थानों पर निरन्तर भूस्खलन की सम्भावना बनी रहती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है– **(संलग्नक–6)**

1. किमी0 0.100 से 0.225
2. किमी0 1.250 से 1.300
3. किमी0 1.575 से 1.650
4. किमी0 2.800 से 2.825
5. किमी0 3.500 से 3.575
6. किमी0 4.350 से 4.375
7. किमी0 4.650 से 4.675

राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम गडूल परगना परवादून तहसील तहसील ऋषिकेश जनपद देहरादून का भूमि खसरा नम्बर 130क, ख, ग, कुल रकबा 1.4760 है0 विभिन्न खातेदारों के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है और खसरा नं–130घ रकबा 41.3980 है0, भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नं–130 में खातेदारों की लगभग 0.5000 है0 भूमि मलवा आने से प्रभावित हुई है।

गत् वर्षाकाल में जो झील उक्त क्षेत्र में बनी थी, प्रशासन द्वारा गतवर्ष उसको खुलवा दिया गया था। स्थलीय निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना द्वारा लगभग चारा स्थानो पर अस्वीकृत डम्पिंग जाने बनाये गये हैं। प्रभावित भूमि पर पेड़ो की क्षति होना भी तस्दीक हुआ है। **(संलग्नक–7)**

उपरोक्त विवरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(एस0एस0 चौहान)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

(अनिल सिंह रावत)
ए0सी0एफ0,
देहरादून

(डा0 अमृता शर्मा)
तहसीलदार, ऋषिकेश,
देहरादून।

संलग्नक-1

ग्राम्य विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या /पी1-32(Phase-XIV)/ग्रा०वि०आरडीए/17 दिनांक 09 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14, वर्ष 2017-18, बैच-1 में 128 (500+ की 09, 250+ की 89 एवं <250 की 30) असंयोजित बसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु Regular PMGSY के अन्तर्गत 102 कार्यों (स्टेज-1 के 63, स्टेज-1/2 के 09 एवं स्टेज-2 के 30), लम्बाई 879.877 किमी0, लागत ₹ 524.23 करोड़ (केन्द्रांश ₹ 471.81 करोड़ एवं राज्यांश ₹ 52.42 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार के पत्र सं0 पी-17024/27/2015-RC (EPMS-346471) दिनांक 13 अप्रैल, 2017 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में, कार्यवार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति परिशिष्ट-क के अनुसार प्रदान की जाती है। इन 102 कार्यों हेतु 05 वर्षीय अनुरक्षण एवं रख-रखाव पर होने वाला व्यय ₹ 55.41 करोड़ का वहन, शासनादेश सं0 2076/आई-01/पी0एम0जी0एस0वाई0/03 दिनांक 17 दिसम्बर 2003 के क्रम से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

ह0/-
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, कुमाऊं क्षेत्र, अल्मोड़ा एवं गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी0आई0यू0 (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड।

संलग्नक: यथोपरि।

ह0 (अरविन्द सिंह ह्यांकी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अधीक्षण अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
लो0नि0वि0, मसूरी

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

					Km	(₹ in Lacs)	Ist yr.	IInd yr.	IIIrd yr.	IVth yr.	Vth yr.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	District : Rudraprayag											
87	Augustmuni	UT-10-13	Dwarpur to Jaula, L028	I	3.800	250.08	3.58	3.20	3.04	3.24	3.67	16.73
88	Ukhimath	UT-10-15	Kyark Band to Pailing, L029 (Cold Mix & Cement Stablization)	I&II	5.050	340.86	6.68	7.34	8.26	8.88	9.99	41.15
89	Ukhimath	UT-10-14	Kalimath to Jeggi Bagwan, L038 (Cold Mix)	I&II	7.450	507.52	9.40	10.30	14.77	9.80	21.12	65.39
		3	3		16.300	1078.46	19.66	20.84	26.07	21.92	34.78	123.27
	District : Tehri											
90	Chamba	UT-11-33	Dandachali to Kainchhu, L047	I	3.500	222.19	3.23	3.21	3.87	2.56	5.20	18.07
91	Chamba	UT-11-32	Nagni to Palas, L044	I	1.675	124.55	2.34	2.34	2.52	2.85	3.08	13.13
92	Narendranagar	UT-11-44	Ithar[illegible] Kukhai, L038	I	12.050	807.62	15.59	16.53	0.00	0.00	0.00	32.12
93	Bhilangana	UT-11-40	Vinakhal to Gainwali, L035	I	6.000	330.47	2.38	2.84	3.18	3.44	3.86	15.90
94	Kirtinagar	UT-11-56	Gohar to Palya Patala, L037	I	10.575	666.19	7.79	8.57	9.66	10.36	11.68	48.06
95	Kirtinagar	UT-11-10	Chilodi (Khola-Badiyar) to Manjuli, L038	I	13.000	792.12	17.22	18.07	18.29	17.38	15.69	86.65
96	Thaulidhar	UT-11-34	Uniyalgaon to Nagrajdhar, L042 (Cold Mix)	I&II	4.850	322.51	6.72	5.12	7.97	5.66	13.44	38.91
97	Chamba	UT-11-36	Jagethi to Tungoli, L035	I&II	5.950	402.39	7.40	6.75	9.55	6.37	15.23	45.30
98	Chamba	UT-11-43	Guja to Manda, L040 (Naino Tech.)	I&II	8.300	544.17	10.42	11.46	13.33	13.86	16.13	65.20
		9	9		65.900	4212.21	73.29	74.89	68.37	62.48	84.31	363.34
	District : Uttarkashi											
99	Naugaon	UT-13-40	Lakhamandal to Bhankoli, L055 (Cold Mix)	II	9.140	509.27	6.05	6.66	16.12	7.87	18.81	55.51
100	Mori	UT-13-27	Kharsari to Jeewanu, L037 (Cold Mix)	II	15.450	859.22	10.40	11.44	17.15	13.52	19.99	72.50
101	Purola	UT-13-31	Purola Khalori to Khalari, L033 (Cold Mix)	II	3.100	173.34	1.73	1.88	3.87	2.23	4.52	14.21
102	Mori	UT-13-30	Jakhol to L[illegible], L033 (Cold Mix)	II	20.270	1080.12	14.22	15.64	29.28	18.48	34.16	111.78
		4	4		47.960	2621.95	32.38	35.62	66.42	42.10	77.48	254.00
		102	102		879.877	52422.86	1018.25	1038.55	1153.67	980.90	1349.23	5540.60

Chief Engineer
U.R.R.D.A.

Chief Executive Officer
U.R.R.D.A.

Principal Secretary
Rural Development

सलग्नक-(2)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/204/2015/एफ0सी0/104 दिनांक: 22/04/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद– देहरादून व टिहरी गढ़वाल में इठारना से कुखई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.055 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : ऑन लाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/11747/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 786/X-4-15/1(438)/2015 दिनांक 07.09.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No. FP/UK/ROAD/11747/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र के अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे है, जिनके प्राप्त होने एवं प्रस्ताव को Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 05.04.2019 को हुई बैठक में पारित किया गया। REC द्वारा प्रस्ताव को पारित करते हुए वांछित आवश्यक सूचनाओं/दस्तावेजो के प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद– देहरादून व टिहरी गढ़वाल में इठारना से कुखई मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.055 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 12.772 है0 ग्राम– कुखई तल्ली भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।

4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**

5. सड़क निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगीः—**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 12.772 है0 ग्राम– कुखई तल्ली भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 364 (Dehradun FD - 164 एवं Narendranagar FD-200) से अधिक न हो।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(डॉ0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

सलग्नक -(3)

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक 1874 /12-1 देहरादून, दिनांक 30 नवम्बर, 2019.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लो0नि0वि0,
नरेन्द्रनगर।

विषय:- जनपद- देहरादून व टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत इठारना से कुखई मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
(प्रस्ताव सं0-FP/UK/ROAD/ 11747/2015)

संदर्भ:- आपका पत्रांक-1124/2एल0ए0, दिनांक 10 अक्टूबर, 2019.

महोदय,

उपरोक्त मोटर मार्ग पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं0-08B/UCP/06/204/2015/FC/104 दिनाँक 22-04-2019 द्वारा प्राप्त हो चुकी है। आपके कार्यालय पत्रांक-821/2एल0ए0 दिनांक 26-07-2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन में वांछित धनराशि जमा की गयी है तथा जिसकी पुष्टि करते हुए इस कार्यालय की पत्र सं0-372/12-1 दिनांक 01-08-2019 के द्वारा भी अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रत्तर कार्यवाही हेतु लिखा गया है।

1- विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

2-उक्त के अतिरिक्त वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथासंशोधित) एवं वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का भी अनुपालन किया जाय।

अतः उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश सं0-941/X-4-18/1-05(04)/2014 दिनाँक 26-09-2018 के पैरा-3 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित पूर्ण शर्तो की अनुपालन आख्या यथाशीघ्र ऑन लाईन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अनुमति उक्त प्रतिबन्धित शर्तों के अधीन जारी की जाती है।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :1874 (1)/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक :1874 (2)/ तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश उप वन प्रभाग।
2. राजि अधिकारी, थानों।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

कार्यालय, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून उप वन प्रभाग,देहरादून।

पत्रांक 1084 /29–1 देहरादून, दिनांक-15 मार्च, 2023.

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रबन्धक (प्र0)
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
ई–115 नेहरू कॉलोनी,देहरादून।

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन में दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन में दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसके सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT–72/2022–23/4492–2121,दिनांक 02/03/2023 उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 05 बिन्दुओ की आख्या चाही गयी है जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है–

बिन्दु संख्या 1:– पी0एम0जी0एस0वाई के द्वारा मार्ग निर्माण के दौरान नियमों के पूर्ण अनुपालन न करने पर वनक्षेत्राधिकारी थानों द्वारा सम्बन्धित संस्था को समय–समय पर नोटिस जारी किया गये। आरक्षित वन क्षेत्र में अनियमित मलवा का निस्तारण करने व उससे 27 वृक्षो (कुकाट) को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त करने पर थानो राजि द्वारा आर0सी0नं0 20/थानो/2020–21 राजिवाद दर्ज किया जिसमे प्रयोक्ता अभिकरण से थानो राजि द्वारा अपने ई–3 रसीद संख्या 1030/48 दिनांक 15.06. 2021 के द्वारा 50000.00 रूपये क्षतिपूर्ति वसूल कर राजस्व मे जमा किया गया है।

बिन्दु संख्या 2:– बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

बिन्दु संख्या 3:– यह बिन्दु राजस्व विभाग से अपेक्षित है।

बिन्दु संख्या 4:– प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा कुल स्वीकृत 332 वृक्षो का ही पातन किया गया है। बिन्दु संख्या 1 के अनुसार अनियमित मलवा निस्तारण से क्षतिग्रस्त 27 वृक्षो के विरूद्व 50000.00 रूपये (पचास हजार रूपये मात्र) क्षतिपूर्ति धनराशि वसूल कर राजस्व में जमा किया गया है। दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण के दौरान 2 बांज वृक्षो का राजस्व भूमि में क्षति होना पाया गया है जिसका मूल्यांकन विभागीय दरों के अनुसार 2342.00 अंकलित किया गया है। (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न) उक्त क्षेत्र राजस्व विभाग के अधीन होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु संख्या 5:– संयुक्त निरीक्षण समिति की दिनांक 16.02.2023 की संयुक्त जाँच अनुसार।

अतः चाही गई सूचना बिन्दुवार प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

भवदीय,

(अनिल सिंह रावत)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून उप वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी थानों रेन्ज देहरादून वन प्रभाग

पत्रांक ~~मस्~~ /13 दिनाक–14.03.2023

सेवा में

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग

विषय– **ईठारना कालवन मोटर मार्ग में गिराये वृक्षों का मूल्यांकन।**

महोद्रय,

उपरोक्त विषयक निवेदन है कि थानों राजि के अन्तर्गत ईठारना कालवन मोटर मार्ग में गिराये गये वृक्षों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	प्रजाति	व्यास	संख्या	दर	धनराशि
1	बांज	20-30	01	814	814
2		30-40	01	1528	1528
		Total	**02**		**2342**

अतः सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित।

भवदीय

वन क्षेत्राधिकारी
थानों रेंज
देहरादून वन प्रभाग

इठारना से कालवन कुकई मोटर मार्ग(प्रस्तावित) मे आने वाले वृक्षों की संख्या

(ग्राम सभा गडूल)

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई(व्यास से0मी0)									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	total
1	सेमला Baihinia	6	2	1	-	1	-	-	-	-	10
2	कोकाट	13	4	-	-	-	-	-	-	-	17
3	रोहणी	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
4	भीमल	2		-	-	-	-	-	-	-	2
	योग	23	7	1	0	1	0	0	0	0	32

नोटः— 0—10 से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

(नाप भूमि कालवन)

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई(व्यास से0मी0)									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	भीमल	14	10	-	-	-	-	-	-	-	24
2	खडीक	5	7	-	-	-	-	-	-	-	12
4	तुन Toona	2	3	-	-	-	-	-	-	-	5
5	कचनार	3		-	-	-	-	-	-	-	3
6	कोकाट	21	7	1		1	-	-	-	-	30
7	सिरस	-	-	1			-	-	-	-	1
8	अखरोट	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	रोहणी	4	-	-	-		-	-	-	-	4
	योग	49	27	2	0	2	0	0	0	0	80

नोटः— 0—10 से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

(आरक्षित वन क्षेत्र भोगपुर क0सं0—6)

क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई(व्यास से0मी0)									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	रोहणी	12	6	-	-	-	-	-	-	-	18
2	सेमल	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	गेन्ठी	4	4	1	-	-	-	-	-	-	9
4	तुन	2				-	-	-	-	-	2
5	कोकाट	45	49	23	11	5	1	-	-	-	134
	योग	63	60	24	11	5	1	0	0	0	164

नोटः— 0—10 से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

24/2/015

वन क्षेत्राधिकारी
थानो रेंज
देहरादून वन प्रभाग

(ग्राम समाज गडूल)											
क्र0सं0	प्रजाति	वृक्ष की गोलाई(व्यास से0मी0)									योग
		10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
1	भीमल	4	5	4	1	-	-	-	-	-	14
2	गैन्ठी	-	-	1	-	-	1		1	1	4
4	खडीक	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	तुन	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
9	जामुन	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10	कचनार	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
11	सेमल	1		-	-	-	-	-	-	-	1
15	रोहणी	3		-	-	-	-	-	-	-	3
16	कोकाट	14	4	3	1	-	-	-	-	-	22
17	बांकली	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3
18	बहेडा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	योग	29	13	9	2	0	1	0	1	1	56

नोटः– 0–10 से0मी0 व्यास के पौधों का प्रत्यारोपण किया जायेगा।

24/2/015

वन क्षेत्राधिकारी
थानो रेंज
देहरादून वन प्रभाग

... 50 Books/2-2013

कार्यालय उप वन संरक्षक देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

क्रम सं० 07 बुर्क न० 45 तारीख 22/12/2020

रेन्ज थानो रिपोर्ट न० 3/20-21

R.C. NO 20/थानो/2020-21

जुर्म जंगल भोगपुर आरक्षित वन [illegible]

1. नाम, पिता का नाम व सकूनत मुजरिम [illegible]
[illegible]
मैं० [illegible]
[illegible] सिनेमा [illegible]
जिला-पौड़ी गढ़वाल

2. नाम गवाह स्टाफ, व केशर सिंह नेगी
वन दरोगा।

3. खुलासा और तारीख जुर्म [illegible]
[illegible]

श्री केशवसिंह व०प०
जौन्स का आवश्यक [illegible]

4. कीमत [illegible]

वन क्षेत्राधिकारी

5. कैफियत बाबत चालान और तहकीकात [illegible] (संरक्षण) अधिनियम 2001 की धारा
देहरादून वन प्रभाग (स्त) की 26(ह) के अन्तर्गत अपराध करना।

6. खुलासा रिपोर्ट मय शहादत वगैरह [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] धारा 26(ग) व० 26(ह) के अन्तर्गत अपराध किया गया है।
[illegible]

1.50 x 10 = 15	हेरना - 1-2 = 2 [illegible]	तिलफरा
70 x 18 = 1260	2-3 = 1 [illegible]	1-2 = 2
40 x 100 = 4000	सेमल 1-2 = 3 [illegible]	3-4 = 1
70 x 120 = 84	2-5 = 3 [illegible]	
2.00 x 100 = 20000	[illegible] 1-2 = 1 [illegible]	योग = 27 [illegible]
1.50 x 80 = 120	1-2 = 4 [illegible]	
1.50 x 40 = 4000	2-3 = 3 [illegible]	
1.60 x 40 = 52	4-5 = 1 [illegible]	
40 x 1.30 = 5850	5-6 = 1 [illegible]	
40 x 65 = 800	[illegible] 1-2 = 2 [illegible]	
100 x 1.84 = 84	2-3 = 1 [illegible]	

(श्री [illegible])
वी [illegible]
भोगपुर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
ऋषिकेश
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

आ०ज०सं० 1/गा0/जून/2021

Jon 200 Books/100X3/Jan 2019

प्रपत्र–ई–3

वन विभाग शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

क्रमांक 48

(शिवृ)

पुस्तक संख्या 1030.

थानो रेंज देहरादून वन प्रभाग शिवालिक वृत्त (उत्तराखण्ड

प्राप्त किये श्री मै० एस०एस० इन्फ्रा प्रोजेक्ट (महेश डोभाल) से

रुपये 50000-/ शब्दों में पचास हजार रुपये मात्र

बावत राजस्व सं० 1/गा0/जून/21 से प्राप्त मुआवजा धनराशि ।

वन क्षेत्राधिकारी
थानो रेंज
देहरादून वन प्रभाग

दिनांक 13/6/21 20

सलग्नक - 4

Muck Genation, Muck Utilization & Dumping Report (0.00 to 6.40 Km)

Name of Road:- Itherna to Kukhai Motor Road Length 12.050 Km

Sl No	Designated Dumping Yard (Chainage)	Approx Dumping Yard Assessed Capacity (In Cum)	Muck Generated (in Cum)	Utilization (in Cum)	Muck Dumped (in Cum)	Remarks
1	0/0-0/2	2,880.00	1,15,200.00	68,584.00	2,123.00	उक्त परियोजना मे किमी0 0.00 से किमी 6.400 के मध्य कुल 14 डम्पिगं जोन बनाये गये है। जिसमे 47398.29 Cum Debris Dumped डम्पिगं जोन मे डाला गया है एवं 68584.00 Cum Debris Reutilization Construction कार्य हेतु प्रयोग किया गया है।
2	0/4 to 0/6	8,250.00			6,542.00	
3	0/10-0/12	2,800.00			1,952.00	
4	0/26 to 0/29	9,000.00			7,412.00	
5	1/10 to 1/12	3,600.00			2,458.00	
6	1/14 to 1/16	3,600.00			3,012.00	
7	1/23 to 1/26	4,950.00			3,952.85	
8	2/24 to 2/26	3,150.00			2,612.52	
9	3/38 to 3/40	6,624.00			5,214.25	
10	4/10 to 4/12	5,250.00			4,258.58	
11	4/26 to 4/27	1,800.00			1,356.00	
12	4/37-4/38	3,200.00			3,141.00	
13	5/10-5/11	2,400.00			2,312.52	
14	5/38-5/40	1,200.00			1,052.00	
	Total			**68,584.00**	**47,398.72**	

Jpd
A.A.E

[signature]
AE
PMGSY Narendranagar

पलग्नक–51

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग, लम्बाई 12.050 (कि0मी0 0.00 से 6.400 तक) के नव निर्माण हेतु वन भूमिहस्तान्तरण प्रस्ताव।

(82)

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यक्ता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमि धर होने का प्रमाण पत्र

प्रस्तावित कार्य हेतु यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं भूमिधरों का भूमिधर होने का प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना है।

भूमिधर

श्री राजपालसिंह
सुनिल रावत
[signature]
जमशीदसिंह
कुन्दन सिंह रावत उपप्रधान
[signature]
भरतसिंह रावत
[signature]
घनश्यामसिंह
गुलाबसिंह

राजस्व विभाग
नाम पद एवं मुहर सहित

जिलाधिकारी

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर श्री राजपाल सिंह

नाम...सत्यपाल सिंह पु० बुद्ध सिंह

पिता का नाम...नारायण सिंह पु० लच्छू जगदीश आ

ग्राम...इठारना...

पट्टी...

क्रास सेक्शन 0/0-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम इठारना राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
1	400	524	0.142	0.090
	186	516	0.061	0.020
		योग		0.11

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –..........................

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर

नाम... ज्ञान सिंह वीर सिंह पु० लच्छी
पिता का नाम.... भोपाल सिंह पु० नम्मी
ग्राम...... इठारना
पट्टी.......................................

क्रास सेक्शन 0/5-6 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम इठारना राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋषिकेश तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
1	105	531	0.105	0.060
		योग		0.060

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –.........................

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर कुन्तु धोन्ती

नाम.....कुन्तु रतन धोन्ती.......

पिता का नाम.........बागु.....................

ग्राम........इठारना...........................

पट्टी..

0/10-12

क्रास सेक्शन 0/18-20 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम इठारना राजस्व निरीक्षक क्षेत्र त्रिषिकेश तहसील त्रिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
1	53	858	0.194	0.060
	53	538	0.242	0.100
		योग		0.160

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –..........................

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर [signature]

नाम....पदम सिंह मंगल सिंह

पिता का नाम....दर्शन सिंह आदि

ग्राम....इठारना....

पट्टी....

क्रास सेक्शन 0/24-26 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम इठारना राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
1	234	864	0.134	0.040
		योग		0.040

[signature]
सहायक अभियन्ता

[signature]
राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –............

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में व भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर

नाम... माइ सिंह मंगल सिंह, गुलाब सिंह

पिता का नाम.... विजय राम....

ग्राम.... कालबन....

पट्टी....

क्रास सेक्शन 4/9 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम कालवन राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
1	268	43/1	0.243	0.105
		योग		0.105

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –...........

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर

नाम... शंकर पु० मोहन सिंह ...

पिता का नाम... माई सिंह मंगल सिंह गुलाब सिंह पु० विजय सिंह

ग्राम... कालवन ...

पट्टी...

क्रास सेक्शन 5/10-11 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम कालवन राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
	40357	40	1.133	0.090
		योग		0.090

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –...........................

व्यक्तिगत भूमिं पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल
अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

गब्बर लाल

काशतकार के हस्ताक्षर

नाम....मंगसिंह....
पिता का नाम....नैन....
ग्राम....कालबन....
पट्टी.......

क्रास सेक्शन 4/37-38 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम कालवन राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
	438	41	0.065	0.025
		योग		0.025

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –........

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू–स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित इठारना–कुखई मोटर मार्ग में वन भूमि मार्ग निर्माण /मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है इस प्रयोजन हेतु यदि हमारी भूमि अर्जित की जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

काशतकार के हस्ताक्षर

नाम... साइ सिंह मंगल सिंह गुलाब सिंह

पिता का नाम... विजय राम...

ग्राम... कालबन...

पट्टी...

क्रास सेक्शन 4/21-22 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु ग्राम कालवन राजस्व निरीक्षक क्षेत्र ऋिषिकेश तहसील ऋिषिकेश जिला देहरादून में अर्जित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

क0सं0	खाता स0	खसरा सं0	कुल रकवा है0मैं	प्रस्तावित रकवा है0 मै।
	267	75	0.049	0.020
1	267	77	0.045	0.020
		योग		0.040

सहायक अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक ह0
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद –...

नक्शा (5) प्रपत्र–51

परियोजना का नाम :– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्ता इठारना–कुखई मोटर मार्ग लम्बाई 12.050 (कि0मी0 0.00 से 6.400 तक) के न निर्माण हेतु वन भूमिहस्तान्तरण प्रस्ताव।

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0,खण्ड लो0नि0वि0 नरेन्द्रनगर (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि इठारना–कुखई मोटर माग मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के महीनें की तारीख को निष्पादित किया गया है।

1– यह सहगति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समरत कार्य निष्पादित करेगी।

2– यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूसिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृति सर्किल दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हरतान्तरण ग्राम विकास विभाग के नाम किया जायेगा।

3– यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षो पर वाध्यकारी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरुप पक्षकारों ने अपने पाधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह ओर वर्ष के हरताक्षर किये ओर अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

[signature]

नाम:– ई0 पियूष पाल गर्ग
पदनाम:–अधिशासी अभियन्ता,खण्ड लो0नि0वि0 पी0एम0जी0एस0वाई0 नरेन्द्रनगर

	नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1	श्री राजपाल सिंह	श्री स्व० सत्यपाल सिंह	श्री राजपाल सिंह
2	श्री सुनील रावत	स्व० ज्ञान सिंह	सुनील रावत
3	श्री दपाल सिंह रावत	स्व० धर्म सिंह	D S Rawat
4	श्री जगदीश सिंह	स्व० देवी सिंह	जगदीश सिंह
5	श्री कुन्दन सिंह	स्व० महेन्दर सिंह	[illegible] सिंह रावत
6			
7	श्री प्रेम सिंह	श्री पूरण सिंह	[illegible]
8	श्री भरत सिंह रावत	स्व० पदम सिंह	भरत सिंह रावत
9	श्री रविन्द्र रावत	स्व० [illegible]	[illegible]
10	श्री घनश्याम	स्व० दिवान सिंह	घनश्याम
11	श्री गुलाबसिंह		
12	” ”	स्व० विजयपालसिंह	गुलावसिंह
13			
14			

साक्षी
उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश

संलग्नक (6)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

Phone & Fax-01378-227082 E-mail:eepmgsynarendranagar@rediffimail.com

पत्रांकः 170 /27सी0 दिनांकः 17/02/2023

सेवा में,

उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश।

विषयः– खण्डान्तर्गत निर्माणाधीन इठारना कुखई मोटर मार्ग में प्राकृतिक भूस्खलन जोन की सूची।
सन्दर्भः– आपका कार्यालय पत्रांक–911/एस0पी0ए0–विविध पत्र/2022 दिनांक 16.02.2023

महोदय

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयगत मार्ग पर वर्तमान में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुयें भूस्खलन जोनों की सूची निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. किमी0 0.100 से 0.225
2. किमी0 1.250 से 1.300
3. किमी0 1.575 से 1.650
4. किमी0 2.800 से 2.825
5. किमी0 3.500 से 3.575
6. किमी0 4.350 से 4.375
7. किमी0 4.650 से 4.675

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

17/02/2023

(इं बी0एन0गोदयाल)
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड़ लो0नि0वि0
नरेन्द्रनगर

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001

REGIONAL OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
E-115, Nehru Colony, Dehradun-248001

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/NGT- 72 /2022–23/4492 – 2121 दिनांकः 02/03/23

सेवा में,

उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन में दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण आख्या के सबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854/2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन के सबंध में दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया निरीक्षण के उपरांत वन विभाग से इठारना कुकई मोटर मार्ग के निर्माण से जनित मक (मलबा) से एवं शिकायतकर्ता द्वारा उक्त क्षेत्र में झील बनने का उल्लेख किया गया जो निरीक्षण में नही पाया गया, उसके सबंध में निम्न विवरण वर्तमान तक अप्राप्त है, जिस कारण रिपोर्ट नही बन पायी है।

प्रकरण में निम्न सूचनायें वन विभाग एवं राजस्व विभाग से वांछित है–

1. अतिरिक्त मलबा के निस्तारण से प्रभावित भूमि का विवरण।
2. अतिरिक्त मलबा के निस्तारण से वन क्षेत्र को हुई क्षति का विवरण एवं पूर्व में की गयी कार्यवाही का विवरण।
3. अतिरिक्त मलबे के निस्तारण से पूर्व में बनी झील पर प्रशासन द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण।
4. स्वीकृति के अतिरिक्त क्षतिग्रस्त वृक्षो का विवरण एवं क्षतिपूर्ति के रुप में आरोपित की गयी धनराशि का विवरण।
5. राजस्व विभाग से चिन्हित/स्वीकृत डंपिंग स्थलों के अतिरिक्त अनाधिकृत रुप से डंपिंग स्थलो का विवरण।

जैसा कि विदित है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रकरण पर समन्वय एवं अनुपालन हेतु जिलाधिकारी देहरादून को नोडल एजेंसी नामित किया गया है, प्रकरण मे अगली सुनवाई दिनांक 21.03.2023 को नियत है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सबंधित विभागों को उपरोक्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करना चाहें।

भवदीय

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सदस्य महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, आई0टी0 पार्क,सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को सादर प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

GPS Map Camera
Gadool, Uttarakhand, India
Gadool, Uttarakhand, India
Lat 30.258405°
Long 78.276966°
16/02/23 01:48 PM GMT +05:30

GPS Map Camera
Gadool, Uttarakhand, India
Gadool, Uttarakhand, India
Lat 30.259721°
Long 78.28157°
16/02/23 01:38 PM GMT +05:30

सलग्नक 7

कार्यालय उप जिलाधिकारी ऋषिकेश जनपद देहरादून।

संख्याः–946 / एस0पी0ए0– विविध पत्रा0–2022 दिनांक 14, मार्च ,2023

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई–115, नेहरू कालोनी, देहरादून।

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854 / 2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी / आरओडी / एनजीटी–72 / 2022–23 / 4492–2121 दिनांक 02.03.2023 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–854 / 2022 सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 के सम्बन्ध में 05 पांच बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है। उक्त के कम में तहसीलदार ऋषिकेश से जांच करायी गयी। तहसीलदार ऋषिकेश द्वारा बिन्दुवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है जो निम्नवत हैः–

बिन्दु संख्या 01–ग्राम गडूल परगना परवादून तहसील ऋषिकेश जनपद देहरादून का भूमि खसरा नम्बर 130क, ख, ग, कुल रकबा 1.4760है0 विभिन्न खातेदारों के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है और खसरा नम्बर 130घ रकबा 41.3980है0, भूमि वन विभाग के नाम पर दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 130 में खातेदारों की लगभग 0.5000है0 भूमि मलबा आने से प्रभावित हुयी है। वन भूमि में कितनी प्रभावित हुयी है इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा आख्या प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 02–बिन्दु संख्या 02 की आख्या वन विभाग से लिया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 03–गत वर्षाकाल म ेंजो झील उक्त क्षेत्र मे ंबनी थी, प्रशासन द्वारा गतवर्ष की उसकों खुलवा दिया गया था।

बिन्दु संख्या 04–बिन्दु संख्या 04 के सम्बन्ध में आख्या वन विभाग से लिया जाना उचित होगा।

बिन्दु संख्या 05–स्थलीय निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री सडक सुरक्षा योजना द्वारा लगभग चार स्थानों पर अस्वीकृत डम्पिंग जाने बनाये गये है। प्रभावित भूमि पर पेडों की क्षति होना भी तस्दीक हुआ है।

अतः तहसीलदार ऋषिकेश की आख्या मूलरूप सलंग्न कर प्रेषित है।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी,

ऋषिकेश।

महोदय,

संलग्न पत्रांक सं० यू.के.पी.सी.बी. / आर.ओ.डी. / NO 72/2022-23/4492-2121, दिनांक 02.03.2023, कार्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ई 115, नेहरू कालोनी, देहरा

विषय :- मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवे॰ सं. 854/2022, सुधीर जोशी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आ॰ दिनांक 11/01/2023 के अनुपालन में दिनांक 16.02.2023 को संयुक्त निरीक्षण के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या निम्नवत

1. ग्राम - मंडल, परगना - परवादून, तहसील - ऋषिकेश (दे.दून) का भूमि ख. नं. 130क, ख, ग, कुल रकबा 1.4760 हे० विभिन्न खातेदारों के नाम बतौर सं. भू. दर्ज कागजात है और ख.नं. 130घ रकबा 41.3480 हे० श्रेणी वन विभाग के नाम पर दर्ज है। उक्त ख. नं. 130 मे खातेदारों की लगभग 0.5000 हे० भूमि [illegible] मलबा आने से प्रभावित हुयी है। वन भूमि कितनी प्रभावित हुयी है, इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा आख्या प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।
2. बिन्दु नं. 2 की आख्या वन विभाग से लिया जाना उचित है।
3. गत वर्षा काल में जो झील उक्त क्षेत्र में बनी थी, प्रशास द्वारा गत वर्ष ही उसको खुलवा दिया गया था।
4. बिन्दु नं. 4 से आख्या वन विभाग से लिया जाना उचित होगा।
5. स्थलीय निरीक्षण के समय कार्यदायी संस्था "प्रधान मंत्री सड़क सुरक्षा योजना" द्वारा लगभग चार स्थानों अस्वीकृत डम्पिंग जोन बनाये गये हैं। प्रभावित भूमि पर पेड़ों की क्षति होना भी परिलक्षित हुआ है।

अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

763
14.03.23

SDM(R)

महोदय, आख्या सेवा में प्रेषित [illegible]

04/3
रा.उ.नि.
मंडल